समझौता प्रपत्र

यह समझौता तिथि.... (माह) (वर्ष) को, हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जंगपुरा, नई दिल्ली- 110014 में स्थित है (जिसे यहां इसके बाद “एचपीएल” कहा जाएगा, जिसके तहत इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी, कार्यपालक तथा प्रतिनियुक्तों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है) एक पक्ष, तथा एम/एस (संवेदक का नाम) (जिसे यहां इसके बाद ‘संवेदक’ कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति के तहत सिवाय संदर्भ की अपेक्षा के इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी, कार्यपालक तथा अनुमतिप्राप्त प्रतिनियुक्त सम्मिलित होंगे) अन्य पक्ष के बीच किया जाता है।

जबकि, एचपीएल, जो (कार्य का नाम) के निर्माण की इच्छुक है (जिसे यहां इसके बाद “परियोजना” कहा जाएगा), (स्वामी मंत्रालय का नाम) की ओर से (जिसे यहां इसके बाद “स्वामी” कहा जाएगा), ने निविदा दस्तावेज एनआईटी नं. __________________ अनुसार निविदाएं आमंत्रित की हैं।

तथा जबकि (संवेदक का नाम) ने अपनी तिथि अंकित _________ उपर्युक्त उल्लिखित निविदा में भाग लिया तथा एचपीएल ने उनकी पूर्वोक्त निविदा को स्वीकार किया तथा अपने अभिप्राय पत्र सं. _________ तथा इसमें उल्लिखित दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार (परियोजना का नाम) के लिए निविदा प्रदान की, जिसे (संवेदक का नाम) ने समझौता करते हुए अपने स्वीकृति पत्र तिथि अंकित __________ द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया।

अब अतः- यह दस्तावेज निम्नांकित अंतर्गत साक्ष्यकृत है:

अनुच्छेद 1.0- अनुबंध करना

कार्य का क्षेत्र

1.1 एचपीएल ने यह अनुबंध (संवेदक का नाम) को (कार्य का नाम) कार्य के लिए अपने अभिप्राय पत्र सं. .... तिथि ...... तथा इसमें उल्लिखित दस्तावेजों के अनुसार प्रदान किया। यह निविदा (तिथि) के प्रभाव से यानी पूर्वोक्त अभिप्राय पत्र के जारी करने की तिथि से प्रदान किया गया। इस अनुबंध में प्रयुक्त शर्तें तथा अभिव्यक्तियां समान अर्थ की होंगी जैसा कि उत्तरवर्ती अनुच्छेद में उल्लिखित “अनुबंध दस्तावेज” के अनुसार उन्हें सौंपा गया है।

अनुच्छेद 2.0- अनुबंध दस्तावेज

2.1 यह अनुबंध यहां अनुबद्ध नियमों तथा शर्तों तथा इसके साथ संलग्न निम्नलिखित दस्तावेजों (जिसे यहां इसके बाद "निविदा दस्तावेज" कहा जाएगा) के अनुसार कठोरतापूर्वक निष्पादित किया जाएगा।

(क) एचपीएल सूचना निविदा आमंत्रण सूचना सं. ..... तिथि .... तथा एचपीएल निविदा दस्तावेज के तहत सम्मिलित हैं:

(i) निविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी) के साथ जीसीसी के लिए जारी संशोधन/शुद्धिपत्र (यदि कोई हो)।

(ii) निविदा की विशेष शर्तों के साथ परिशिष्ट तथा अनुसूचियां।

(iii) रिमाण विपत्र के साथ अनुसूचित मदों में संशोधन/ शुद्धिपत्र, यदि कोई हो

(iv) ________________________________

(v) ________________________________

(vi) ________________________________

(vii)

(ख) (संवेदक का नाम) प्रस्ताव पत्र तिथि .... तथा उनकी उत्तरभाव्य संसूचना"

(i) स्वीकृति पत्र- निविदा शर्तों के लिए तिथि अंकित....

(ii) ________________________________

(iii) ________________________________

2.2 एचपीएल का विस्तृत अभिप्राय पत्र सं. ..... तिथि अंकित...... के साथ परिमाण विपत्र। अनुबंधित कार्य समययोजना, संवेदक की संगठनात्मक तालिका तथा संयंत्र तथा उपकरणों की सूची संवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

उपर्युक्त अनुच्छेद 2.1 तथा 2.2 में उल्लिखित सभी पूर्वोक्त दस्तावेज इस अनुबंध के अभिन्न अंग होंगे, जहां तक कि यह तथा इसके किसी भाग की पुष्टि निविदा दस्तावेज के अनुरूप करते हों तथा जिसपर एचपीएल ने अपने अभिप्राय पत्र में विशिष्ट रूप से सहमति व्यक्त की हो। इसके साथ असंगत कोई मामला, इसके अन्यथा अथवा विरुद्ध या संवेदक द्वारा इसकी "निविदा" में किया गया कोई विचलन हो किंतु जिसपर एचसीएल ने अपने अभिप्राय पत्र में विशेष रूप से सहमति व्यक्त न की हो, उसे एचपीएल पर कोई लागत के बिना संवेदक द्वारा वापस कर लिया गया माना जाएगा। संक्षिप्तता के लिए, यह अनुबंध तथा इसके साथ पूर्वोक्त निविदा दस्तावेज तथा अभिप्राय पत्र को भी "निविदा" कहा जाएगा।

अनुच्छेद 3.0- शर्तें तथा प्रावधान

3.1 निविदा का कार्यक्षेत्र, भुगतान, भुगतान की शर्तें, सुरक्षा जमाराशि, कर यथायोग्य प्रवर्तनीय, बीमा स्वीकृत समयावधि, देरी के लिए मुआवजा तथा एचपीएल के अभिप्राय पत्र सं.....तिथि.... में निहित सभी नियम तथा शर्तें पूर्वोक्त निविदा दस्तावेजों के साथ मिलाकर पढे जाएंगे। संवेदक द्वारा इस निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा को कठोरतापूर्वक तथा विश्वासपूर्वक विधिवत निष्पादित किया जाएगा।

3.2 कार्य के क्षेत्र में इस प्रकार के सभी मद भी सम्मिलित होंगे, जिन्हें निविदा दस्तावेज में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है, किंतु जिन्हें इस अनुबंध के अनुसार निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र के संपूर्ण संतोषजनक निष्पादन के लिए तार्किक रूप से कार्यान्वित किया जाना आवश्यक है, जब तक कि इन्हें अभिप्राय पत्र में कार्य क्षेत्र से विशेष रूप से छूट न प्रदान की गई हो।

3.3 संवेदक अनुबंध दस्तावेज में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

3.4 अवधि अनुबंध का सार है, और कार्य की प्रगति के लिए इसका कड़ाई से पालन करना होगा, जो स्वीकृत कार्य समय-सारणी/ निविदा दस्तावेज तथा अभिप्राय पत्र के अनुसार होगा।

3.5 यह अनुबंध पक्षों के बीच तथा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार पूर्ण तथा समस्त समझदारी से किया गया है। यह अनुबंध में उल्लिखित नियमों तथा शर्तों की असंगति या विरोध की सीमा की सभी पूर्व अनुरूपताओं का अधिक्रमण करेगा। अनुबंध में कोई भी संशोधन केवल लिखित दस्तावेज द्वारा प्रभावी होगा जिसे दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो।

3.6 इस निविदा के संपूर्ण कार्यक्षेत्र के लिए कुल अनुबंध राशि, जैसा कि अभिप्राय पत्र वर्णित है, रु. ..... (रुपए........ केवल) है, जिसका प्रबंधन निविदा दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

अनुच्छेद 4.0- अधिकारों से छूट नहीं

4.1 न तो एचपीएल या प्रभारित अभियंता या स्वामी या उनके कोई अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट द्वारा निरीक्षण, न तो एचपीएल या प्रभारित अभियंता द्वारा राशि का भुगतान या कोई भुगतान या स्वीकार करना, कार्य के संपूर्ण या किसी भाग के लिए, एचपीएल या प्रभारी अभियंता द्वारा, न अवधि का कोई विस्तार न प्रभारी अभियंता द्वारा कोई दखल लेना, अनुबंध के किसी प्रावधान से, अथवा इसके द्वारा एचपीएल द्वारा सुरक्षित किसी अधिकार से, या इसके द्वारा प्रदान किसी क्षति के अधिकार से

कोई छूट नहीं माना जाएगा, न अनुबंध के किसी उल्लंघन से छूट माना जाएगा- जो एक छूट या अन्य कोई या अनुवर्ती उल्लंघन हो।

अनुच्छेद 5.0- शासी कानून तथा न्यायक्षेत्र

5.1 इस अनुबंध पर लागू कानून केवल भारत में लागू कानून तथा दिल्ली न्यायक्षेत्र के अधीन होंगे।

5. 2 चूक की सूचना

चूक की सूचना किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को समझौते के तहत लिखित रूप से दी जाएगी को दलों को ठीक और विधिवत रूप से पक्षों को प्रदान किया माना जाएगा, अगर इसे पावती के साथ प्रदान किया जाता है अथवा फैक्स या यहां उपर्युक्त उल्लिखित पतों पर हस्ताक्षरकर्ताओं को विधिवत पता लिखे पंजीकृत डाक द्वारा प्रदान किया जाता है।

जो कोई साक्षी हों, अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यमम से पक्षों ने इन दस्तावेजों को नई दिल्ली में दिन, माह तथा वर्ष को प्रथम उल्लिखित किया है (जिसे दोनों पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है)।

हेतु तथा की ओर से:	हेतु तथा की ओर से:
(ठेकेदार की नाम)	मैसर्स हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
गवाह:	गवाह:
1.	1.
2.	2.